# अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
## सचिवालय

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 28 मार्च, 2003

### आदेश सं. 61

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 के नियम 1 (च) द्वारा अण्डमान तथा निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र को 'क' वर्ग में रखे जाने के परिणामस्वरूप तथा भारत सरकार, गृह मंत्रालय के दिनांक 4.7.1989 के पत्र सं. 1/14034/12/88-राजभाषा (क I) की अपेक्षाओं के अनुपालन में उपराज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा यह आदेश देते हैं कि दिनांक 1.4.2003 से अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के सचिवालय और उसके सभी अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों में निम्नलिखित शासकीय कार्य पूर्णता हिन्दी में या हिंदी और अंग्रेजी में, जैसा भी मामला हो, होगा :-

1. अर्जित अवकाश से सम्बन्धित सभी कार्य (टीप, आदेश सेवा पुस्तक में प्रविष्टियाँ) पूर्णता हिंदी में होंगे ।
2. सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित सभी कार्य (टीप, आदेश) पूर्णता हिंदी में होंगे ।
3. बैठक बुलाए जाने से सम्बन्धित सूचना हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ जारी किए जाएंगे ।
4. सभी विभागों/कार्यालयों द्वारा जारी होने वाले पत्रों में पत्र शीर्ष हिंदी तथा अंग्रेजी में द्विभाषी रूप में होंगे ।
5. आकस्मिक अवकाश सभी अधिकारी और कर्मचारी हिन्दी में दिया करेंगे ।
6. राजभाषा अधिनियम, 1967 की धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले सभी कागजात हिंदी तथा अंग्रेजी में द्विभाषी रूप में ही जारी होंगे ।
7. सेवा पुस्तिका में सेवा सत्यापन सम्बन्धी प्रविष्टि हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में की जाएगी । इसके लिए विभाग रबर मुहर बनाकर उसका प्रयोग करेंगे ।
8. समयोपरि भत्ता/मानदेय की स्वीकृति सम्बन्धित मामले (टीप, आदेश) पूर्णता हिंदी में होंगे ।
9. स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ पूर्णता हिन्दी में की जाएगी ।
10. स्मरण पत्र (रिमाइन्डर) द्विभाषी रूप में जारी होगा ।

जिन कार्यों के सम्बन्ध में हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी का प्रयोग करने के लिए ऊपर विनिर्दिष्ट किया गया है उन कार्यों में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों का प्रयोग साथ-साथ किया जाएगा ।

उद्दीप्त रे
(उद्दीप्त रे)
सचिव (रा.भा.)
(फा.सं. 10-1(57)-2002-रा.भा.)

प्रतिलिपि:-

1. उप राज्यपाल के निजी सचिव को माननीय उपराज्यपाल जी की सूचना हेतु ।
2. मुख्य सचिव, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के निजी सचिव को मुख्य सचिव जी की सूचना हेतु ।
3. अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के सभी आयुक्तों/सचिवगण के निजी सचिवों/निजी सहायकों को आयुक्तों/सचिवों की सूचना के लिए ।
4. अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए ।
5. सचिवालय के सभी सहायक सचिव/शाखा अधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए ।

उद्दीप्त रे
सचिव (रा.भा.)